प्रेस नोट दिनाँक 04.05.2021

(1). आज दिनाँक-04.05.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में पुलिस लाइन चित्रकूट में सहायक नोडल अधिकारी/क्षेत्राधिकारी श्री उदयवीर सिंह चंदेल एवं श्री सुमेर सिंह प्रतिसार निरीक्षक की उपस्थिति में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों के अन्तः विषयों की परीक्षा को प्रारम्भ कराया गया। अन्तःविषयों की परीक्षा दिनाँक-04.05.2021 से 13.05.2021 तक होगी। परीक्षा में कुल 183 रिक्रूट आरक्षी उपस्थित रहे।

(2). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 04.05.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में, एण्टी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा कस्बा मऊ में, एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम रैपुरा ,बॉडी पोखरी चौराहे में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा बस स्टैण्ड, ट्राफिक चौराहा कर्वी में भ्रमण कर कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया तथा बाहर निकलने वाले व्यक्तियों बाहर निकलने का कारण पूछा तथा शासन द्वारा लागू लॉकडाउन का पालन करने हेतु बताया गया । महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरुक किया गया।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में श्री अजय कुमार जायसवाल चौकी कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चैकिंग अभियान के क्रम में दिनाँक 03.05.2021 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करने एवं मास्क लगाने हेतु जागरूक किया गया। शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का उल्लंघन करने पर थाना कोतवाली कर्वी में 03 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188/269 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये। जनपदवासियों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों का पालन करें।